कैबिनेट के फैसले : एथनॉल उत्पादन बढ़ाने को 12900 करोड़ का रियायती ऋण मंजूर

चीनी उद्योग को दीर्घकालिक राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव से पहले सरकार गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के लिए दीर्घकालिक राहत उपायों की घोषणा की है। किसानों के गन्ने का भुगतान सुनिश्चित करने के उपायों के अलावा वित्तीय संकट झेल रहे चीनी उद्योग को भी कई तरह की राहत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एथनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग को और ब्याज रियायत देने का फैसला किया है। इसके तहत 12,900 करोड़ रुपये के रियायती ऋण पर आने वाले ब्याज की रियायत का बोझ सरकार उठाएगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीइए) ने गुरुवार को चीनी उद्योग और गन्ना किसानों की मुश्किलें घटाने के लिए बड़ा फैसला लिया है।

इस फैसले से मिलें चीनी के साथ एथनॉल के उत्पादन पर ज्यादा जोर दे सकेंगी। यह फैसला जून, 2018 में मंजूर प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है, ताकि 268 मिलों अलावा अन्य मिलें भी इस योजना का लाभ उठा सकें।

गन्ना एरियर के भुगतान को लेकर किसानों की नाराजगी दूर करने का सरकार पक्का इंतजाम करने में जुटी है। इसी के तहत भुगतान के बाबत ही चीनी मिलों के लिए पहले ही रियायती ऋण मंजूर कर दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों को भी गन्ना भुगतान कराने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा गया है। कैबिनेट के इस फैसले से जहां चीनी का अतिरिक्त उत्पादन रोका जा सकेगा, वहीं चीनी मिलों के नगदी वित्तीय संकट खत्म करने में मदद मिलेगी। किसानों के गन्ने का भुगतान करने में आसानी होगी।

पिछले वर्ष तैयार की गई नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल के तहत चीनी के शीरा के साथ सीधे गन्ने के रस से एथनॉल बनाने की नीति को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य देश में चीनी के अतिरिक्त उत्पादन को रोकना और एथनॉल के उत्पादन से पेट्रोल की आयात निर्भरता को कम करना भी था। इसके लिए मिलों को सस्ता ऋण देकर एथनॉल की नई इकाइयां स्थापित करने और पहले से लगी इकाइयों का विस्तार करने के लिए मदद दी जा रही है।

बिजली क्षेत्र में 31 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स मंजूर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने स्लॉग ओवर में 'पावर' फुल 'सिक्स' लगाया है। कैबिनेट ने गुरुवार को पावर सेक्टर से जुड़े छह अहम फैसलों को मंजूरी दी है। अगले चार-पांच दिनों में आम चुनाव के एलान की संभावनाओं को देखते हुए इसे कैबिनेट की अंतिम बैठक कहा जा सकता है।

कैबिनेट ने जिन बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी है, उनमें 31,565 करोड़ रुपये लागत की दो ताप और दो पनबिजली परियोजनाएं भी शामिल हैं। दो अन्य नीतिगत फैसले हैं। एक फैसला वर्षों से फंसी ताप बिजली परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। इन परियोजनाओं को उबारने के लिए गठित सचिवों की समिति की सिफारिशों को हरी झंडी दिखा दी गई है। छठा फैसला यह है कि अब देश की पनबिजली क्षेत्र को नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्युएबल एनर्जी का दर्जा दे दिया गया है।

कैबिनेट ने 1,320 मेगावाट क्षमता की खुर्जा (बुलंदशहर, यूपी) और 1,320 मेगावाट क्षमता की बक्सर (बिहार) में ताप बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसे दो पनबिजली कंपनियां स्थापित करेंगी। खुर्जा स्थित प्लांट सरकारी कंपनी टीएचडीसी लगाएगी जिस पर 11,089.42 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बक्सर स्थित परियोजना

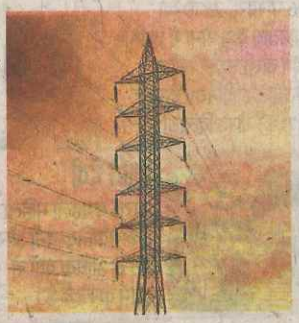

की लागत 10,439.09 करोड़ रुपये की आएगी और इसे एक अन्य सरकारी कंपनी एचजेवीएन लगाएगी। उक्त दोनों परियोजनाओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बक्सर बिजली व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है। दोनों परियोजनाएं सुपर क्रिटिकल तकनीकी आधारित होंगी और इनका काम वर्ष 2023-24 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी देश में 40 हजार मेगावाट क्षमता की ताप बिजली परियोजनाएं किसी न किसी वजह से फंसी हुई हैं। ऐसे में इन दोनों नई परियोजनाओं के औचित्य के बारे में पूछने पर बिजली मंत्री सिंह का कहना है कि देश में बिजली की मांग को देखते हुए इन परियोजनाओं की जरुरत होगी।

पनबिजली क्षेत्र में लगाई जाने वाली एक परियोजना 624 मेगावाट क्षमता की होगी जो जम्मू -कश्मीर के किश्तवार जिले में चिनाब नदी पर लगाई जाएगी। इसे एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी व पीटीसी का संयुक्त उपक्रम लगाएगी और इसकी लागत 4,287.59 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। दूसरी परियोजना 500 मेगावाट क्षमता की सिक्किम में तीस्ता-छह होगी। इस पर 5,748.04 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वैसे यह परियोजना पहले लैंको तीस्ता हाइड्रोपावर नाम की एक कंपनी को दी गई थी थी। लेकिन यह कंपनी वित्तीय संकट में फंस गई और अब इसकी जिम्मेदारी एनएचपीसी को सौंप दी गई है।

कैबिनेट ने एक अहम फैसले के तहत पनबिजली परियोजनाओं को भी नवीकरणीय ऊर्जा का दर्जा दे दिया है जिससे अब इन परियोजनाओं के लिए बाजार से सस्ती दरों पर कर्ज लेने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की मंजूरी में यह भी है कि सरकार की तरफ से परियोजनाओं के लिए अब कुछ अतिरिक्त धन बजट से दिया जाएगा। साथ ही अब इन परियोजनाओं के लिए बिजली शुल्क को इस तरह से तय किया जाएगा कि उनमें निश्चित अंतराल पर बढ़ोतरी होती रहे।

कैबिनेट का छठा फैसला देश में फंसी 40 हजार मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाओं को उबारने से संबंधित है। कैबिनेट के फैसले के बाद इनमें से जो परियोजनाओं कोयले की कमी की वजह से लंबित हो रही थी उन्हें केंद्र सरकार शीघ्र ही कोयला लिंकेज देगी। इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की खरीद का रास्ता भी साफ किया जा रहा है।

Dainik Jagran
8/3/19